न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ (झुन्झुनू)

पीठासीन अधिकारी :: मुरारी लाल शर्मा
आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र संख्या 102/2018

1. दुर्गाराम
2. रामनारायण
3. श्रीराम
4. सुलतानसिंह पुत्रान भींवाराम जाति जाट निवासीगण ग्राम कसेरू तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू

—आवेदकगण

बनाम

1. ईश्वर पुत्र श्योबक्स
2. झिमकोरी पत्नी मुकन्दा
3. रामवतार पुत्र मुकन्दा
4. सरोज
5. विनोद
6. सुभिता पुत्रियां मुकन्दा जाति जाट निवासीगण ग्राम कसेरू तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू

—अनावेदकगण

प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा

ऐडवोकेट आवेदक :— श्री विजेन्द्र सिंह दूत
ऐडवोकेट अनावेदक :— —

आदेश

दिनांक 17.05.2019

आवेदक द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि ग्राम कसेरू की सरहद में भूमि नई खाता सं0 92 ख.न. 366/0.05, 367/0.05, 368/4.65, 369/1.00, 370/102, 371/0.58, कुल रकबा 7.35 है0 जो स्व0 श्योबक्स के वारिसान आवेदकगण व प्रतिवादीगण नं. 1 लगायत 10 की खातेदारी कब्जे काश्त की कृषि भूमि है तथा इसके अलावा नई खाता सं0 206 के ख.न. 150/0.38, 152/0.19, 157/2.02, 159/1.46, 232/0.50, 233/0.50, 841/158/0.38 कुल रकबा 6.03 है0 स्थित है जो आवेदकगण व प्रतिवादीगण नं. 1 लगायत 37 की खातेदारी कब्जे काश्त की कृषि भूमि है। उक्त दोनो खातों की कृषि भूमि के संबंध में आवेदकगण वाद पत्र घोषणार्थ व दुरूस्त करवाने रिकार्ड एवं विधिवत विभाजन व प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का पेश कर रहा है जिसको आगे प्रश्नगत भूमि के नाम से संबोधित किया गया है।

प्रश्नगत कृषि भूमि नई खाता सं0 92 की भूमि स्व0 श्योबक्स के चारों पुत्रों का इस भूमि में बराबर बराबर 1/4, 1/4 हिस्सा रहा है और कब्जा काश्त रहा है। आवेदकगण के पिता भींवाराम का स्वर्गवास हो जाने पर उसके 1/4 हिस्से की प्रश्नगत कृषि भूमि की खातेदारी आवेदकगण व पत्नी रामकोरी के नाम दर्ज हुई तथा रामकोरी का स्वर्गवास होने पर उसेक 1/20 हिस्से की खातेदारी आवेदकगण व प्रतिवादीगण नं. 8 लगायत 10 के नाम दर्ज हुई है जिसके मुताबिक उक्त 14 हिस्से में आवेदकगण का बराबर 2/35, 2/35 हिस्सा है और प्रतिवादीगण नं. 8 लगायत 10 का 1/140, 1/140 हिस्सा है।

नई खाता सं0 206 की भूमि में स्व0 श्योबक्स के चारों पुत्र भींवारा ईश्वर मोटाराम व मुकन्दा का 1/3 हिसा है और 2/3 हिस्सा प्रतिवादीगण नं. 9 लगायत 37 का है इस प्रकार से स्व0 भींवाराम के वारिसान आवेदकगण व प्रतिवादीगण नं. 8 लगायत 10 का 1/12 हिस्सा है और अनावेदक नं. 1 व

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ

Scanned by CamScanner

वादी नं. 2 का भी बराबर बराबर 1/12 1/12 स्सिा व अनावेदकगण नं. 2 लगायत 6 का 1/12 स्सा है तथा शेष 2/3 हिस्सा प्रतिवादीगण नं. 9 लगायत 37 का है इसी प्रकार से खातेदारी दर्ज है और बिज व आबाद है। वाद पत्र/प्रार्थना पत्र में यह भी अनुतोष मांगा गया है कि आवेदक नं. 1 का सही म दुर्गाराम पुत्र भीवाराम है लेकिन प्रश्नगत भूमि के राजस्व रिकार्ड में आवेदक नं. 1 के तीन नाम र्गाराम दुर्गाप्रसाद व दुर्गादत आदि दर्ज कर दिया है जो लिपिकीय अशुद्धि है जबकि मतदाता पहचान पत्र धार कार्ड, परिवार राशनकार्ड एवं अन्य तमाम रिकार्ड में दुर्गाप्रसाद व दुर्गादत के स्थान पर दुर्गाराम दर्ज किया जाकर लिपिकीय अशुद्धि को सही व दुरूस्त किया जाना न्याय संगत है।

अतः प्रार्थना पत्र पेशकर निवेदन हे कि ताफैसला दावा अनावेदकगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि प्रश्नगत कृषि भूमि के नई खाता सं0 206 के किता 6 कुल रकबा 7.35 है0 में आवेदकगण के 1/ 2 के कब्जे काश्त व उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की बाधा पैदा नही करे तथा आवेदकगण को अपने हिस्से की कृषि भूमि में आने जाने के रास्ते में किसी प्रकार का कोई अवरोध व बाधा पैदा नही करे तथा विधिवत विभाजन करवाये बिना किसी निश्चित भू भाग पर कोई कच्चा या पक्का निर्माण कार्य नही करे और ना ही कोई विकय पत्र व अन्य ट्रांसफर डीड आदि तस्दीक करवाये।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर तलबी अनावेदकगण की गई। परन्तु अनावेदकगण बावजूद नोटिस तामील के उपस्थित न्यायालय नही होने से इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अतः बहस वकील आवेदकगण सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया।

बहस तथ्यों पर मनन किया तथा प्रस्तुत नजीरें व पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा धारा 212 रा.का.अधि. के निस्तारण के लिये न्यायालय को तीन बिन्दुओं जिनमे प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति देखनी होती हैं। अतः इन तीन बिन्दुओ पर विवेचन निम्नानुसार हैः—

1. प्रथम दृष्टया मामलाः— वादग्रस्त आराजीयात भूमि ख.न. 366/0.05, 367/0.05, 368/4.65, 369/1.00, 370/102, 371/0.58, कुल रकबा 7.35 है0 के आवेदकगण खातेदार काश्तकार है। प्रश्नगत भूमि प्रार्थी के नाम दर्ज होने से प्रथम दृष्टया मामला आवेदक के पक्ष में है।
2. सुविधा का संतुलन तथा अपूर्णीय क्षति :— प्रश्नगत भूमि में आवेदक सहखातेदार होने से सुविधा का संतुलन भी अप्रार्थी के पक्ष में है। अत सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति आवेदक के पक्ष मे हैं।

इसप्रकार उक्त तीनों बिन्दुओं के आधार पर आवेदक का प्रार्थना पत्र न्यायोचित होने के कारण प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है। अनावेदकगण को ताफैसला दावा अस्थाई निषेधाज्ञा से पावन्द किया जाता है कि आवेदकगण के हिस्से पर किसी प्रकार का कच्चा या पक्का निर्माण कार्य नही करे तथा किसी निश्चित भू भाग को विकय आदि नही करे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील कार्यवाही जाप्ता दाखिल दफतर तथा मूल वाद के सलग्न रहे। निर्णय आज दिनांक 20.05.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुरारी लाल शर्मा) RAS
उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ

Scanned by CamScanner